रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2016 दिनांक 06.10.2016
No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2016

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCsDA/CsDA

विषय: i. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2014-2015 के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस और उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना -उच्चतम गणना सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में ।

ii. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2015-2016 के लिए उत्पादकता असम्बद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना ।

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7/24/2014/ई-III(ए) एवं 03 अक्टूबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7/24/2007/ई-III(ए) की प्रतियाँ सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की जाती है ।

Copies of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 7/24/2014/E.III (A) dated 29.08.2016 and 7/24/2007/E.III (A) dated 03.10.2016 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी ।

संलग्नक: यथोपरि

(टी के जाजोरिया)
रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 ।
2. लेखा परीक्षा - 1, 2 (स्थानीय) ।
3. लेखा परीक्षा (समंवय) अनुभाग (स्थानीय) ।
4. ई.डी.पी. सेंटर (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी ।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय) ।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14 ।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे} ।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्री) कोलकाता} ।

(टी के जाजोरिया)
रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

सं. 7/4/2014/ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

29 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस और उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना - उच्चतम गणना सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को लेखा वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 16.10.2015 के का. ज्ञा. सं. 7/24/2007/ई.III(ए) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा तदर्थ बोनस के भुगतान के प्रयोजन से 3500/- रुपए की मासिक परिलब्धि की उच्चतम गणना सीमा तय की गई थी। कतिपय मंत्रालयों/विभागों जिनमें 2014-15 में उत्पादकता संबद्ध बोनस प्रचलन में था, में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान, इस मंत्रालय की सहमति से 3500/- रुपए की मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा के आधार पर किया गया था।

2. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस और उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस), जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रयोजन से उच्चतम गणना सीमा बढ़ाए जाने के मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्पादकता संबद्ध बोनस और तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रयोजन से मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा 01.04.2014 से अर्थात् लेखा वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित करके 7000/- रुपए होगी।

3. तदनुसार, उत्पादकता संबद्ध बोनस अथवा तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, जिसका भुगतान तदर्थ बोनस के संबंध में दिनांक 16.10.2015 के उपर्युक्त का. ज्ञा. के अनुसार और इस मंत्रालय की विशिष्ट सहमति के आधार पर वर्ष 2014-15 में प्रचलित संबंधित स्कीमों के तहत उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की गई संबंधित स्वीकृतियों के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को पहले ही किया जा चुका है, की गणना 3500/- रुपए के बजाए 7000/- रुपए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा के आधार पर पुनः की जाएगी।

4. लेखा वर्ष 2014-15 के लिए इन आदेशों के तहत उत्पादकता संबद्ध बोनस अथवा तदर्थ बोनस, जो भी लागू हो, के भुगतान की पुनःगणना करते समय, अन्य सभी शर्तें जिनके तहत भुगतान किया गया था, अपरिवर्तित रहेंगी।

अमरनाथ सिंह

5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर इनकी प्रयोज्यता के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार अग्रेषित (सामान्य तौर पर भेजी जाने वाली अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No.7/4/2014-E-IIIA
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

North Block, New Delhi
Dated the 29th August, 2016

Office Memorandum

Subject: Grant of Productivity Linked Bonus (PLB) and non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc bonus) in case of Central Government employees for the accounting year 2014-15- enhancement of the calculation ceiling- Regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Ministry's OM No. 7/24/2007/E-III.A dated 16.10.2015 regarding grant of non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to the Central Government employees for the accounting year 2014-2015, whereby the calculation ceiling for the purpose of payment of ad-hoc bonus was monthly emoluments of Rs. 3500. The Productivity Linked Bonus (PLB) in case of Central Government employees working under certain Ministries/Departments, where such PLB was in operation in 2014-15, was also paid by the respective Ministries/Departments for the accounting year 2014-15 based on the concurrence of this Ministry with the calculation ceiling at monthly emoluments of Rs. 3500.

2. The question of enhancement of the calculation ceiling for the purpose of payment of PLB and non-PLB (ad-hoc bonus), as the case may be, to the Central Government employees has been considered and the President is pleased to decide that the calculation ceiling of monthly emoluments for the purpose of payment of PLB and ad-hoc bonus, as the case may be, shall be revised to Rs. 7000 w.e.f. 01.04.2014, i.e., for the accounting year 2014-15.

3. Accordingly, the PLB or ad-hoc bonus, as the case may be, as already paid to the eligible Central Government employees for the accounting year 2014-15 in terms of the above OM dated 16.10.2015 pertaining to ad-hoc bonus and the respective sanctions issued by the concerned Ministries/Departments in respect of PLB under the respective schemes in operation during 2014-15 based on the specific concurrence of this Ministry, shall be re-worked out based on the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 instead of Rs. 3500.

4. While re-working out payment of PLB or ad-hoc bonus, as the case may be, under these orders for the accounting year 2014-15, all the other terms and conditions under which the payment was made shall remain unchanged.

5. In respect of their application to the employees working in the Indian Audit and Accounts Departments, these orders are issued in consultation with the office of the Comptroller and Auditor General of India.

6. Hindi version of this order will follow.

(Amar Nath Singh)
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard mailing list.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

संख्या- 7/24/2007/ई-III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था-III (ए) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3 अक्तूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों जो उत्पादकता से संबद्ध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2015-16 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है । इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की अधिकतम सीमा, 29 अगस्त, 2016 के का.ज्ञा.सं.7/4/2014-ई.III(ए) के तहत 01/04/2014 से यथा-संशोधित 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धियां होंगी। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगा । ये आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे जो परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगाः-

(i) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो 31.03.2016 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2015-16 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार सेवा की है। वर्ष में छह महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा-अनुपात भुगतान किया जाएगा, पात्रता-अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम पूर्णांकित संख्या) के संदर्भ में की जाएगी ।

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा । तत्पश्चात इसका बोनस दिए जाने की दिनों की

अमरनाथ सिंह

संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, मासिक परिलब्धियों की अधिकतम गणना सीमा को 7000/- रुपए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000/- रुपए से ज्यादा हैं) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 = 6907.89/- रुपए (पूर्णांकित 6908/- रुपए) बनेगा।

(iii) ऐसे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन अथवा इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्षों में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के पात्र होंगे। देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि 1200 रुपए x 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (पूर्णांकित 1184/- रुपए) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी भुगतान रुपए के निकटतम पूर्णांक में किए जाएंगे।

(v) इस मंत्रालय के, समय-समय पर यथा-संशोधित, दिनांक 04.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-ई.कोऑर्ड/88 के तहत जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश लागू होंगे।

3. इस मद में होने वाला व्यय उन संबंधित शीर्षों के नामे डाला जाएगा जिनमें इन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते डाले जाते हैं।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के अंदर पूरा किया जाना है।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार प्रेषित (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No.7/24/2007/E III (A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
(E III-A Branch)
*****

North Block,New Delhi
3rd October, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16.

*****

The undersigned is directed to convey the sanction of the President to the grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) equivalent to 30 days emoluments for the accounting year 2015-16 to the Central Government employees in Groups 'C' and 'D' and all non-gazetted employees in Group 'B', who are not covered by any Productivity Linked Bonus Scheme. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of Rs. 7000/-, as revised w.e.f 01/04/2014 vide OM No.7/4/2014-E.III(A), dated 29th August, 2016. The payment of ad-hoc Bonus under these orders will also be admissible to the eligible employees of Central Para Military Forces and Armed Forces. The orders will be deemed to be extended to the employees of Union Territory Administration which follow the Central Government pattern of emoluments and are not covered by any other bonus or ex-gratia scheme.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

(i) Only those employees who were in service as on 31.3.2016 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2015-16 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible employees for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months);

(ii) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (Ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a year will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of monthly emoluments of Rs. 7000 (where actual average

emoluments exceed Rs. 7000). Non-PLB (Ad-hoc Bonus) for thirty days would work out to Rs. 7000x30/30.4=Rs.6907.89 (rounded off to Rs.6908/-).

(iii) The casual labour who have worked in offices following a 6 days week for at least 240 days for each year for 3 years or more (206 days in each year for 3 years or more in the case of offices observing 5 day week), will be eligible for this Non-PLB (Ad-hoc Bonus) Payment. The amount of Non-PLB (ad-hoc bonus) payable will be (Rs.1200x30/30.4 i.e.Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments.

(iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

(v) The clarificatory orders issued vide this Ministry's OM No.F.14 (10)–E. Coord/88 dated 4.10.1988, as amended from time to time, would hold good.

3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.

4. The expenditure to be incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director.

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.